संख्याः 15/2022/ 238/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/90/2019

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 28 मार्च,2022

विषयः अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत पुनर्विनियोग /वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 202/ले0शा0/ पुनर्विनियोग/ 2021-22 दिनांक 14 मार्च, 2022 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय,03- अनुसंधान- सामान्य, 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय,03- अनुसंधान- सामान्य, 42- अन्य व्यय मतदेय मानक मद में रू0 3.76 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय,03- अनुसंधान- सामान्य, 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में प्राविधानित /उपलब्ध धनराशि रू0 5.00 लाख में से 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय,03- अनुसंधान- सामान्य, 42- अन्य व्यय मतदेय मानक मद में रू0 3.76 लाख की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी-1/375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान- सामान्य, 42- अन्य व्यय मृतदेय मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र में अंकित आर0ई0 संख्या-566, दिनांक 22.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या- 15/2022 /238(1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3।
(6) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.17-1002(099)/90/2019- -1-

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158 देखें)

वित्तीय वर्ष 2021-22

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य)

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग/	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन,800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य, 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (240500800030058)	5.00	5.00	3.76	3.76	1.24
योग -	5.00	5.00	3.76	3.76	1.24

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ पुनर्विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2405-मछली पालन,800- अन्य व्यय, 03-अनुसंधान सामान्य, 42- अन्य व्यय(मतदेय) (240500800030042)	1.00	4.76	3.76	3.76	4.76
योग -	1.00	4.76	3.76	3.76	4.76

(2)

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण।

(क) कार्मिक की नियुक्ति न होने के कारण ।

संख्या- आर0ई0 566/ ई-1-दस-2022 दिनांकः 28 मार्च 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) मत्स्य विभाग के विभागीय वेब एप्लीकेशन पोर्टल (fymis.upsdc.gov.in) के अनुरक्षण, डी0बी0टी0 व सेक्योरिटी आडिट व मोबाइल एप के अनुरक्षण के कार्यों के भुगतान 30प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को किये जाने हेतु 42- अन्य व्यय मतदेय में प्राविधान अत्यन्त कम होने के कारण पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की मांग की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिमन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (उप सचिव)
प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम- (फूल चन्द यादव)
अनु सचिव,वित।

संख्या: 15/22/238(1)/सवह-म-2022 दिनांक: 28 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक मत्स्य, 30प्र0 लखनऊ।
2- सम्बंधित कोषाधिकारी, 30प्र0 ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वित्त प्रतिनिधि)
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 15-03-2022 18:18:04
Reason: Approved

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- कृपा शंकर यादव (उप सचिव)
प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।